

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

बन्दोबस्ती वाद सं० 04/2017-18  
आवेदकगण- बैजु महतो एवं अन्य 4

बनाम  
16 आना रैयत  
मौजा- बरहरवा

आदेश

25-9-17

अंचल अधिकारी बरहरवा के पत्र सं० 842/रा० दिनांक 08.08.2017 के द्वारा बंदोबस्ती वाद सं० 01/17-18 प्राप्त हुआ है। जो मौजा बरहरवा के ज०न० 441 दाग न० 1626 में स्थित कुल पाँच व्यक्तियों को बन्दोबस्ती हेतु अभिलेख के माध्यम से अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। अवलोकन किया। जिसे संतुष्ट होकर दिनांक 17.08.2017 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं मौजा बरहरवा के 16 आना रैयतो से अनापति आमंत्रित हेतु विधिवत नोटिस निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि तक आपति प्राप्त नहीं हुआ तत् पश्चात आवेदकगणों को सुना। आवेदकगण ने अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक बरहरवा तथा अंचल अमीन बरहरवा से जाँच कराकर अंचल अधिकारी बरहरवा ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बरहरवा थाना न० 29 ज०न० 441 दाग न० 1626 रकवा 13 कट्टा 13 धुर जमीन खतियान में पूरातन पतित कह कर दर्ज है। जिसका अंशिक रकवा 01 कट्टा 09 धुर जमीन पर आवेदकगण का दखल कब्जा कर तथा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। आवेदकगण गरीब, मजदुर, एवं भूमिहीन किस्म के व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें बसोवास के लिए अपनी जमीन नहीं है। एवं सभी भूमिहीन हैं। आवेदकगण उक्त भूमि की बन्दोबस्ती कराकर सरकार को लगान देना चाहते हैं। आवेदित जमीन मौजा बरहरवा ज०न० 441 दाग न० 1626 रकवा 01 कट्टा 09 धुर जमीन का वार्षिक लगान प्रति एकड 400/रुपये की दर से अंकित किया है। जो वर्ष 1954-55 से देय होगा। अंचल अधिकारी बरहरवा द्वारा आवेदकगण बैजु महतो एवं अन्य 4 सभी सा० बरहरवा नया बजार पो+थाना- बरहरवा जिला साहेबगंज के नाम से बन्दोबस्ती करने एवं राजस्व हित में लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी बरहरवा की अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि एवं जनहित को ध्यान में रख कर तथा मौजा के 16 आना रैयतो के आपति के अभाव में आवेदकगण के नाम से बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी जाती है। बरहरवा थाना अन्तर्गत मौजा बरहरवा ज०न० 441 में आवेदकगण का दखल निम्न प्रकार है।



| क्र०सं०  | आवेदक/आवेदिका<br>का नाम               | मौजा   | ज०न० | दाग न० | रकवा               |
|----------|---------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
| 01       | बैजू महतो,<br>पे० नरेश कुशवाहा        | बरहरवा | 441  | 1626   | 05 धुर             |
| 02       | राजकुमार रमानी<br>पे० लखन रमानी       | "      | "    | "      | 06 धुर             |
| 03       | गोपाल महतो<br>पे० नरेश कुशवाहा        | "      | "    | "      | 06 धुर             |
| 04       | दयाल सरदार<br>पे० स्व० नरायण<br>सरदार | "      | "    | "      | 06 धुर             |
| 05       | अनिता देवी<br>पति राम देव रमानी       | "      | "    | "      | 06 धुर             |
| कुल रकवा |                                       |        |      |        | 01 कट्टा 09<br>धुर |

सभी सा०- नया बजार बरहरवा पो०+थाना- बरहरवा जिला साहेबगंज। आवेदित भूमि का लगान 400/रु० प्रति एकड की दर से रकवा 01 कट्टा 09 धुर भूमि का लगान 10(दस) रुपये सेस निर्धारित किया जाता है। जो वर्ष 1954-55 से देय होगा। उक्त भूमि अहस्तारणीय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को आवश्यक कार्रवाई

हेतु भेजे।

लेखापति एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी  
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,  
राजमहल